

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 316

दिनांक 30/01/2023

## प्रार्थनीगण :-

1. ऐजना पुत्री भगूराम पत्नि रमेशकुमार निवासी समेलों का तला (नवातला जेतमाल)
2. हुरमी पुत्री भगूराम पत्नि ताराराम निवासी मिये का तला (एकलिया धोरा)
3. सोदरी पुत्री भगूराम पत्नि तेजाराम निवासी समेलों का तला (नवातला जेतमाल) जातियान मेघवाल तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

## विप्रार्थीगण:-

1. करमूराम पुत्र सोनाराम 2. चैनाराम 3. शम्भूराम पि. सिवाराम 4. कानाराम पुत्र रूगाराम 5. फूलूराम पुत्र कामलराम 6. दयाराम पुत्र धारूराम 7. श्रवणराम 8. लखाराम 9. विशनाराम पि. मठारराम 10. नारणाराम 11. अमोलराम पि. सेखाराम, जातियान मेघवाल निवासी समेलों का तला, तहसील चौहटन
12. तहसीलदार चौहटन

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 169/2022

दिनांक : 30.01.2023

## आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र मिठड़ाऊ के मौजा समेलो का तला के खेत खसरा सं. 235/88 रकबा 09.7124 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नु हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थनीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 317 to 320

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थनीगण ऐजना वगैरा
3. विप्रार्थीगण करमूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 30/01/2023

(भागी II)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन